न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
175/2014	21.07.2014	1.5.16

उनवान

1. बन्शीलाल पुत्र बुधराम जाति चमार ग्राम नांगलरानिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

:— वादी

बनाम

1. धर्मदेव पुत्र प्रभाती जाति चमार ग्राम कूमपुर हाल आबाद दौलतनगरमाजरा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
2. उप पंजीयक कोटकासिम तह0कोटकासिम जिला अलवर राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी(लैण्ड होल्डर)तहसीलदार, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)।

:— प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
वो हुक्मइम्तनाइदवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

1. श्री भगतसिंह चौधरी अधिवक्ता, वादीगण

निर्णय

वादीगण द्वारा एक वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हुक्मइम्तनाई दवामी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में पेश किया। वाद में वादीगण की ओर से तथ्य इस प्रकार वर्णन किये हैं कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बरान 130/1578/0.1800 है0 (0—14बीघा) वाके ग्राम बघेरीखुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) के असल खातेदार काश्तकार प्रभाती पुत्र गंगलिया जाति चमार ग्राम कूमपुर हाल आबाद दौलतनगरमाजरा जो कि प्रतिवादी सं0 1 का सगा पिताजी था। जिस पर वो काबिज काश्त रहे। प्रभाती ने विवादित आराजी मिन वादी को जरिये बयनामा दिनांक 26.06.1995 को मिन वादी से समस्त प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बेचान की है और बयनामा लिखतम दिनांक 26.06.

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

1995 को तत्कालीन उपपंजियक किशनगढबास द्वारा दिनांक 27.06.0995 को पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 256 पृष्ठ संख्या 53 क्रम सं0 876 पर पंजिबद्ध किया। वक्त खरीद ही प्रभाती ने विवादित आराजी पर हल चलवाकर मिन वादी को कब्जा सौंप दिया। वक्त खरीद से ही मिन वादी विवादित आराजी पर आज तक बदस्तूर काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर मिन वादी का वास्तविक कब्जा काश्त है।

बयनामा पंजिबद्ध दिनांक 27.06.1995 खरीद करने के तुरन्त बाद ही असल बयनामा तत्कालीन हल्का पटवारी को राजस्व रिकार्ड में इंतकाल अपने पक्ष में दर्ज कराने के लिये दे दिया और बयनामा असल 5–7 दिन बाद ही तत्कालीन हल्का पटवारी ने मिन वादी को यह कहते हुये वापिस दे दिया कि आपकी उक्त खरीदशुदा आराजी का इंतकाल राजस्व रिकार्ड में आपके नाम दर्ज कर दिया है। मिन वादी अनपढ भोला भाला व्यक्ति है। तत्कालीन हल्का पटवारी की बात पर विश्वास कर लिया कि उक्त खरीद शुदा आराजी का इंतकाल मेरे नाम रिकार्ड में दर्ज व मंजूर हो गया है।

मिन वादी हल्का पटवारी के पास नकल जमाबन्दी वास्ते बनवाने किसान क्रेडिट कार्ड हेतु लेने दिनांक 25.06.2014 को गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 130/1578/0.18 हैक्टर वाके ग्राम बघेरीखुर्द तो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रभाती पुत्र गंगलिया के नाम दर्ज है तुम्हारे नाम का अंकन नहीं है। जिस पर मिन वादी ने समस्त राजस्व नकलात हासिल कर उनका अवलोकन किया तो मालूम हुआ कि विवादित आराजी प्रतिवादी सं0 1 के पिताजी प्रभाती के नाम ही दर्ज है। जिस गलत इन्द्राज को दुरुस्त कराने के लिये प्रतिवादी सं0 1 से दिनांक 10.07.2014 को मिन वादी ने कहा कि विवादित आराजी मिन वादी ने आपके पिताजी से जरिये बयनामा 27.06.1995 को खरीद की है इसलिये आप उक्त गलत इन्द्राज को दुरुस्त करा दो। जिस पर प्रतिवादी सं0 1 ने कहा कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में मेरे पिताजी प्रभाती के नाम गलत रुप से दर्ज होने का बेजा फायदा उठाते हुये राजस्व अधिकारियों व कर्मचारीगणों से साज बाज होकर उनकी विरासत का इंतकाल अपने नाम दर्ज कराकर दीगर लोंगों को बेचान करुंगा और तुझे जबरन बेदखल करुंगा तुझे काश्त नही करने दूंगा। जबकि विवादित आराजी मिन वादी ने प्रतिवादी सं0 1 के पिताजी प्रभाती से उनके जीवनकाल में ही जरिये बयनामा दिनांक 27.06.1995 के खरीद की हुई है और वक्त खरीद ही प्रभाती ने विवादित आराजी पर हल चलवाकर मिन वादी को कब्जा सोंप दिया और वक्त खरीद से ही आज तक बदस्तूर मिन वादी ही विवादित आराजी पर शांति पूर्वक काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी को जरिये पंजिबद्ध बयनामा दिनांक 27.06.1995 के बेचान मिन वादी को प्रभाती द्वारा करने के बाद से प्रभाती का विवादित आराजी के किसी भी जुज पर कब्जा काश्त नही रहा है। नाही प्रभाती की फौतगी के बाद विवादित आराजी के किसी भी जुज पर प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा काश्त रहा है और ना अब है वादी गैरवास्ता गैरकाबिज विवादित आराजी है। इसलिये मिन वादी विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2052 से लेकर ता हाल राजस्व रिकार्ड मे से प्रतिवादी सं01 के

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

पिताजी प्रभाती पुत्र गंगलिया का नाम कलमजन कराकर मिन वादी पंजिबद्ध बयनामा दिनांक 27.06.1995 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कराने का व इसी कदर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अमल दरामद कराने का अधिकरी है। जिसके लिये मिन वादी को यह दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है।

प्रतिवादी सं0 1 उक्त गलत इन्द्राज की आड में अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो गया तो मिन वादी की अपनी खरीद शुंदा आराजी विवादित के उपयोग उपभोग से वंचित होना पडेगा। दीगर मुकदमा बाजी मे फंसना पडेगा। अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रुपयों में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिये मिन वादी प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाईदवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

मिन वादी के दावा हाजा में हक कानूनन रक्षित है। इसलिये मिन वादी को अपने हकूकों की रक्षार्थ यह वाद पत्र पेश करना लाजिम आया है।

वादपत्र हेतु बिनायदवामी व बिनायमुखासमत दिनांक 25.04.2014 व 10.07.2014 को पैदा हुई है जिससे वाद पत्र अन्दर अवधि पेश है।

प्रतिवादी सं0 1 गलत इन्द्राज की आड में प्रभाती की विरासत का इंतकाल अपने नाम खिलाफ मौका व खिलाफ कानून दर्ज कराकर दीगर लेांगों को बेचान करने की धमकी मिन वादी को दी है जिससे कि मामला आवश्यक प्रकृति का होने की वजह से प्रतिवादी सं 2 व 3 को वादपत्र में पक्षकार मुकदमा बनाने से पूर्व उन्हे 80 जा0दी0 के तहत दो माह का नोटिस दिया जाना संभव नही हो सका इसलिये उन्हे रफाऐ उज्रात 80(2) जा0दी0 का प्रार्थनापत्र अलग से पेश किया है।

अतः प्रार्थना है कि वादी वादी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री इजराय इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज पारित की जाकर आराजी हाल नम्बर 130/1578/0.1800 है0 (0–14बीघा) वाके ग्राम बघेरीखुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) की राजस्व जमाबन्दी सम्वत 2052 से ता हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी तक में से प्रतिवादी सं0 1 के पिताजी प्रभाती पुत्र गंगलिया जाति चमार निवासी कूमपुर हाल आबाद दौलतनगर माजरा तहसील कोटकासिम का नाम हजफ/कलमजन किया जाकर वादी को पंजिबद्ध बयनामा दिनांक 27.06.1995 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे इसी कदर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ब) डिक्री इजराय हुक्मइम्तनाईदवामी पारित की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाईदवामी से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी में हो रहे गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादी सं0 1 अपने नाम विरासत का इंतकाल दर्ज व मंजूर नहीं कराये, ना ही विवादित आराजी को कही दीगर जगह रहन बय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल करे। ना ही वादी के कब्जा काश्त में मजामहत व मदाखलत पैदा करे, ना जबरन बेदखल करे, ना कब्जा करे, ना निर्माण कार्य करे, मौका व राजस्व रिकार्ड की

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

यथास्थिति कायम रखे, ना ही प्रतिवादी सं0 2 विवादित आराजी की बाबत किसी भी प्रकार दस्तावेजात पंजिबद्ध व तस्दीक करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रतिवादीगण 1, 2 की तामील होने पर भी उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पैरोकार सरकार ने अपने जवाव में कोई राज्य हित नही होना पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजात प्रदर्श–1 नकल जमावन्दी सम्वत 2070 से 2073, प्रदर्श 2 नकल बयनामा दिनांक 27.06.1995, तथा साक्ष्यवादी पीडब्ल्यू डी–1 बन्शीलाल, पीडब्ल्यू डी–2 शेरसिंह के शपथपत्र पेश किये।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय वहस सुनी गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी वहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्वरान 130/1578/0.1800 है0 (0–14बीघा) वाके ग्राम बघेरीखुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) के असल खातेदार काश्तकार प्रभाती पुत्र गंगलिया जाति चमार ग्राम कूमपुर हाल आबाद दौलतनगरमाजरा जो कि प्रतिवादी सं0 1 का सगा पिताजी था। जिस पर वो काबिज काश्त रहे। प्रभाती ने विवादित आराजी मिन वादी को जरिये बयनामा दिनांक 27.06.1995 को मिन वादी से समस्त प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बेचान किया। वक्त खरीद ही प्रभाती ने विवादित आराजी पर हल चलवाकर मिन वादी को कब्जा सौंप दिया। वक्त खरीद से ही मिन वादी विवादित आराजी पर आज तक बदस्तूर काबिज व दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर मिन वादी का वास्तविक कब्जा काश्त है। मिन वादी हल्का पटवारी के पास नकल जमाबन्दी वास्ते बनवाने किसान क्रेडिट कार्ड हेतु लेने दिनांक 25.06.2014 को गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रभाती पुत्र गंगलिया के नाम दर्ज है तुम्हारे नाम का अंकन नहीं है। जबकि विवादित आराजी मिन वादी ने प्रतिवादी सं0 1 के पिताजी प्रभाती से उनके जीवनकाल में ही जरिये बयनामा दिनांक 27.06.1995 के खरीद की हुई है दिनांक 27.06.1995 को प्रभाती द्वारा मिन वादी को बेचान करने के बाद से प्रभाती का विवादित आराजी के किसी भी जुज पर व नाही प्रभाती की फौतगी के बाद विवादित आराजी के किसी भी जुज पर प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा काश्त रहा है और ना अब है इसलिये मिन वादी विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे से प्रतिवादी सं01 के पिताजी प्रभाती पुत्र गंगलिया का नाम कलमजन कराकर मिन वादी खातेदार काश्तकार घोषित कराने व राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अमल दरामद कराने का अधिकरी है। जिसके लिये मिन वादी को यह दावा इश्तकरारहक मय

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

दुरुस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है। अतः प्रार्थना है कि वादी वादी डिक्री किया जाकर वादी को पंजिबद्ध बयनामा दिनांक 27.06.1995 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे (ब) *प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाईदवामी से पाबंद फरमाया जावे*

मेरे द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर विचार किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया । विवादित आराजी हाल रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 के पिता प्रभाती के नाम दर्ज है। जबकि प्रतिवादी सं0 1 के पिता द्वारा वादी को दिनांक 27.06.1995 को जरियें बयनामा बेचान कर दिया जाना बयनामा से साबित है। अतः मुताबिक बयनामा विवादित आराजी पर क्रेता वादी का वक्त खरीद से कब्जा व काश्त है। इसलिये विवादित आराजी पर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बरान 130/1578/0.1800 है0 (0–14बीघा) वाके ग्राम बघेरीखुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) से प्रभाती पुत्र गंगलिया जाति चमार ग्राम कूमपुर का नाम कलमजन किया जाकर वादी बन्शीलाल पुत्र बुधराम जाति चमार निवासी नांगलरा[illegible]लिया तहसील [illegible] जिला अलवर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं01 के पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.5.16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्री)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी: बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व वादपत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
174/2014	21.07.2014	01.04.2016

उनवान

1. बन्शीलाल पुत्र बुधराम जाति चमार ग्राम नांगलरानिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

:— वादी

बनाम

1. धर्मदेव पुत्र प्रभाती जाति चमार ग्राम कूमपुर हाल आबाद दौलतनगरमाजरा तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
2. उप पंजीयक कोटकासिम तह0कोटकासिम जिला अलवर राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी(लैण्ड होल्डर)तहसीलदार, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)।

:— प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
वो हुक्मइम्तनाइदवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः
1. श्री भगतसिंह चौधरी अधिवक्ता, वादीगण

आदेश

वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बरान 130/1578/0.1800 है0 (0—14बीघा) वाके ग्राम बघेरीखुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0) से प्रभाती पुत्र गंगलिया जाति चमार ग्राम कूमपुर का नाम कलमजन किया जाकर वादी बन्शीलाल पुत्र बुधराम जाति चमार निवासी नांगलरानिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं01 के पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नहीं करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01.04.2016 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय से जारी की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner